न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार -I, (RAS)**

नामान्तरकरण अपील प्रार्थना–पत्र संख्या :– 06/2020 **RCMS 2020/00496**

अपीलान्ट :–

1. राजेश गर्जुर पुत्र चतराराम जाति गुर्जर उम्र 15 वर्ष निवासी पांचवा तहसील कुचामन जरिये कुदरती वली माता संरक्षक संतोष पत्नी स्व. चतराराम जाति गुर्जर निवासी पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1 सरपंच ग्राम पंचायत पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन

2 सचिव ग्राम पंचायत पांचवा तहसील कुचामनसिटी

3 तहसीलदार कुचामनसिटी भूमिधारी

4 पटवारी हल्का पांचवा तहसील कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन राज.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 विरूद्व आदेश दिनॉक 30.07.2020 म्यूटेशन संख्या 854 में ग्राम पंचायत पांचवा द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थित :– श्री भवानीसिंह अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 21/10/2024

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना का संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पांचवा पटवार हल्का पांचवा तहसील कुचामनसिटी की राजस्व सीमा में खाता संख्या 135 खसरा नम्बर नये 591/257, 592/257 रकबा 0.7400 हैक्टयर चाही 1 जो अपीलांट के पति स्व. चतराराम गुर्जर के नाम से जमाबंदी में दर्ज थी, उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिसका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् पुश्तैनी भूमि का नामान्तरकरण उत्तराधिकारी की हैसियत से सजरा खानदान के अनुसार मेरे व मेरी दो पुत्रियां आशा व पूजा के एवं एक पुत्र राजेश के नाम से फौतगी का म्यूटेशन दर्ज होना था, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 04 पटवारी हल्का व रेस्पोडेंट संख्या 02 ग्राम सेवक व रेस्पोडेंट संख्या 01 सरपंच द्वारा राजेश गुर्जर के नाम की जगह घर पर बोलता नाम राकेश पुत्र चतराराम दर्ज कर दिया गया। जो सहवन से दर्ज हो गया जो गलत है। ग्राम पंचायत पांचवा ने उक्त आदेश पारित करने में कानूनी व वाकियाती भूल करते हुए अपीलान्ट के पुत्र राजेश गुर्जर के स्थान पर बोलता नाम राकेश दर्ज कर दिया जबकि समस्त दस्तावेजों में अपीलान्ट के पुत्र का नाम राजेश गुर्जर अंकित हो रखा है। अपीलान्ट द्वारा म्यूटेशन की नकल दिनांक 06.10.2020 को प्राप्त करने पर जानकारी हुई कि अपीलान्ट के पुत्र का नाम घर पर बोलता नाम दर्ज कर दिया गया है। जो कि ग[illegible] कर दिया गया है। अपीलान्ट के पुत्र का वास्तविक नाम राजेश गुर्जर है। [illegible] पुत्र का नाम नामान्तरकरण में गलत दर्ज कर दिया गया, जिस[illegible] उत्पन्न हुआ है जो [illegible] भी जारी है। उक्त खसरे की म्यूटेशन की प्रमाणित नकल प्राप्त होने से अपील अ[illegible]याद पेश है, फिर भी न्यायालय श्रीमान को अवलोकन से प्रतीत होता है तो एतिहात के तौर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मयाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि आदेश दिनांक 30.07.2020 म्यूटेशन संख्या 854 में ग्राम पंचायत पांचवा द्वारा पारित किये गये आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलान्ट के पुत्र का नाम राकेश के स्थान पर नाबालिग राजेश गुर्जर पुत्र चतराराम गुर्जर संरक्षक माता संतोष पत्नी चतराराम हिस्सा 1/16 का नाम खातदेारी में दर्ज करवाने के रेस्पोडेंट संख्या 01 से 04 को आदेश फरमाया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटीस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरुद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम पांचवा पटवार मण्डल पांचवा तहसील कुचामनसिटी के नामान्तरकरण संख्या 854 स्वीकृति दिनॉक 30.07.2020 की प्रमाणित प्रति, राजेश कुमार के आधार कार्ड की छाया प्रति।

अपील प्रार्थना–पत्र में वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम पांचवा तह0 कुचामन सिटी कि सरहद में कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 591/257 रकबा 0.44 हैक्टर में अशुद्व नाम राकेश के स्थान पर राजेश गुर्जर दर्ज किया जावें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, आधार कार्ड सं.484556455912 राजेश गर्जुर का अवालेकन किया गया। आधार कार्ड मे राकेश का नाम राजेश गजुर दर्ज है तथा अशुद्व नाम राकेश पुत्र चतराराम सहवन से दर्ज हुआ है। राकेश का नाम अन्य सह खातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसका हक हिस्सा 1/16 अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र उपरोक्त दस्तावेजात के अनुसार साबित होने से अपील प्रार्थना–पत्र स्वीकार काबिल पाई गई एवं उक्त प्रविष्टि दर्ज होने से पहले उपरोक्त नामान्तरकरण सं. 854/30.07.2020 अपास्त होने पर ही शुद्व प्रविष्टि दर्ज की जा सकेगी। उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट निम्न प्रकार स्वीकार की जाती है।

आदेश

उपरोक्त सम्पूर्ण बहस एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है और सरंपच ग्राम पंचायत पांचवा तहसील कुचामनसिटी द्वारा पारित आदेश एवं प्रविष्टि ग्राम पांचवा के नामान्तकरण संख्या 854/30.07.2020 को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि वह प्रकरण में सुनवाई कर गुणवागुण के आधार पर निर्णय पारित कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनॉक 21/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:01:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार -I, (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)